

**CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION  
(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)  
CWC EMPLOYEES BENEVOLENT TRUST**

**By Speed Post**  
**"WAREHOUSING BHAWAN"**  
4/1, SIRI INSTITUTIONAL AREA  
HAUZ KHAS  
NEW DELHI-110016  
Dated 07/08/2018

CWC-EBT/Med. Reimb./2018-19

1382 E

The Regional Manager/  
Central Warehousing Corporation  
Regional Office  
Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Chennai, Chandigarh,  
Delhi, Kolkata, Hyderabad, Mumbai, Navi Mumbai, Patna, Raipur, Kochi,  
Guwahati, Lucknow, Panchkula, Jaipur,

**Sub: Medical Reimbursement Scheme to employees for Chronic diseases for the FY 2018-19**


Sir,

This is in continuation to the Trust circular No. CWC/EBT/Trust Meeting/2017-18/95913 dated 11.04.2017, It has been decided in the 22<sup>th</sup> meeting of CWC Employees Benevolent Trust held on 24.07.2018 to extend the Medical Reimbursement Scheme to employees for Chronic diseases for the FY 2018-19 with the limit of medical expenditure borne by employee as under:-

Sl. No.	Particulars	Limit
1.	Expenditure on chronic diseases Borne by the concerned employee.	Upto first Rs.5,000/-
2.	Reimbursement by EBT CWC to employees incurring expenditure from Rs.5,001/- to Rs. 80,000/-.	Rs.75000/- (Maximum) or actual whichever is less. (unchanged)

The limit of Rs.5000/- (Rs. Five thousand only), borne by employee shall be made applicable for the claim of medical bills prescribed by Doctor on or after 01.04.2018. Other terms & Conditions of the scheme will remain unchanged.


Hindi version of the circular follows.

Yours faithfully,  
  
( Arvind Chaudhari )  
GGM (Pers)/ Secretary (EBT)

Copy to:-

1. All Divisional Heads, CWC, CO, New Delhi.
2. GGM(F&A)/Trustee, CWC, CO, New Delhi.
3. GM(Systems), CWC, CO, New Delhi (for placing the circular on website of CWC).
4. SPA to Chairman/ PPS to MD/SAM to D(F)/SPA to D(P)/PS to Dir. (MCP)/PA to CVO, CWC, CO, New Delhi
5. Secretary, CWC/Trustee, CWC, CO, New Delhi.
6. GM(F & A) /Trustee, CWC, CO, New Delhi.
7. Manager (Estt.)/Trustee, CWC, CO, New Delhi.
8. Manager (Rajbhasha) with request to arrange Hindi version of the circular.
9. Sh A. Sivanand, JS & Trustee, RO, Hyderabad.
10. Notice Board of CWC, Corporate Office, New Delhi.

JS (MIS)  
AKS

  
9/8/18

केन्द्रीय भण्डारण निगम  
(भारत सरकार का उपक्रम)  
के.भ.नि. कर्मचारी हितकारी निधि ट्रस्ट

स्वीट पोस्ट

"वेअरहाउसिंग भवन"

4/1, सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया,

हौज खास, नई दिल्ली- 110016

दिनांक- 07-08-2018

केभनि-ईबीटी/चिकित्सा प्रतिपूर्ति/2018-19/382ई

2018

क्षेत्रीय प्रबंधक

केन्द्रीय भण्डारण निगम

क्षेत्रीय कार्यालय

अहमदाबाद, बंगलूरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, चंडीगढ़, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, मुम्बई, पटना, रायपुर, सोनित, गुवाहटी, लखनऊ, पंचकुला, जयपुर

विषय: कर्मचारियों के लिए वित्तीय वर्ष-2018-19 के लिए क्रॉनिक रोगों हेतु चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना।

महोदय,

यह ट्रस्ट के परिपत्र सं० केभनि-ईबीटी/ट्रस्ट बैठक/2017-18/95913 दिनांक 11.04.2017 के अनुसरण में है। दिनांक 24.07.2018 को आयोजित केभनि कर्मचारी हितकारी निधि ट्रस्ट की 22वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कर्मचारियों हेतु क्रॉनिक रोगों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना को कर्मचारियों द्वारा वहन किए जा रहे चिकित्सा व्यय की सीमा के विस्तार का निर्णय निम्न प्रकार लिया गया जो निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	विवरण	सीमा
1	संबंधित कर्मचारी द्वारा क्रॉनिक रोगों पर किया गया व्यय	पहले 5000/- रु. तक
2	ईबीटी सीडब्ल्यूसी द्वारा कर्मचारियों को 5,001/- से 80,000/-रु. तक के व्यय की प्रतिपूर्ति	75000/- रु. (अधिकतम) अथवा वास्तविक व्यय जो कम है। (अपरिवर्तित)

कर्मचारी द्वारा वहन किए गए 5,000/- रु. (केवल पांच हजार रूपए) की सीमा दिनांक 01.04.2018 को या उसके बाद डॉक्टर द्वारा लिखे गए चिकित्सा बिलों के दावे के लिए लागू होगी। योजना की अन्य निबन्धन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

भवदीय  
अरविन्द चौधरी  
(अरविन्द चौधरी)  
07-08-18

समूह महाप्रबंधक (कार्मिक)/  
सचिव (ईबीटी)

प्रतिलिपि:-

1. सभी विभागाध्यक्ष, केभनि, नि.का., नई दिल्ली।
2. समूह महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/ट्रस्टी, केभनि, नि.का., नई दिल्ली।
3. महाप्रबंधक (प्रणाली), केभनि, नि.का., नई दिल्ली। (परिपत्र केभनि के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)
4. अध्यक्ष के वरि.निजी.सहायक/प्रबंध निदेशक के प्रधान निजी सचिव/ निदेशक (वित्त) के वरि. सहायक प्रबंधक/ निदेशक (कार्मिक) के वरि.निजी.सहायक/निदेशक(एमसीपी) के निजी सचिव/ मुख्य सतर्कता अधिकारी के निजी सहायक, केभनि, नि.का., नई दिल्ली।
5. सचिव, केभनि/ट्रस्टी, केभनि, नि.का., नई दिल्ली।
6. महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) ट्रस्टी, केभनि, नि.का., नई दिल्ली।
7. प्रबंधक (स्था.)/ ट्रस्टी, केभनि, नि.का., नई दिल्ली।
8. श्री ए, सिवानन्द, कनिष्ठ अधीक्षक एवं ट्रस्टी, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद।
9. निगम के सूचना पट्ट, निगमित कार्यालय, नई दिल्ली।

3/रा.भा./अनुवाद/ईबीटी/

अरविन्द चौधरी  
07-08-18